



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221380  
CG-DL-E-27082020-221380

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2020/भाद्र 5, 1942

No. 430।

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2020/BHADRA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा. का. नि. 536(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सा. का. नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा ; -

1. (1) इस आदेश को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2020 कहा जायेगा।  
(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 में, अनुसूची में, -  
(क) अनुसूची क में, क्रम संख्या 5 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जायेगा, यथा : -  
“6. 4-एनीलीनों-एन-फेनिथाइलपिपरिडाइन (एएनपीपी)  
7. एन-फेनिथाइल-4-पिपरीडोन (एन पी पी)”;
- (घ) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 19 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबन्धित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा : -  
“20. 3,4-एमडीपी-2-पी मेथाइल ग्लाइसिडेट (पीएमके ग्लाइसिडेट) (सभी स्टीरियोआइसोर्मर्स)

21. 3,4-एमडीपी-2-पी मेथाइल ग्लाइसिडिक एसिड (पी एम के ग्लाइसिडिक एसिड) (सभी स्टीरियोआइसोमर्स)
22. अल्फा-फेनाइलएसीटोएसिटामाइड (एपीएए) (आप्टिकल आइसोमर्स समेत)
23. मेथाइल अल्फा-फेनाइलएसीटोएसीटेट (एमएपीए) (आप्टिकल आइसोमर्स समेत)”;
- (ग) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 19 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया, यथा:-
- “20. 3, 4-एमडीपी-2-पी मेथाइल ग्लाइसिडेट (पी एम के ग्लाइसिडेट) (सभी स्टीरियो आइसोमर्स)
21. 3, 4-एमडीपी-2-पी मेथाइल ग्लाइसिडिक एसिड (पी एम के ग्लाइसिडिक एसिड) (सभी स्टीरियो आइसोमर्स)
22. अल्फा-फेनाइलएसीटोएसिटामाइड (ए पी ए ए) (इसके आप्टिकल आइसोमर्स समेत)
23. मेथाइल अल्फा-फेनाइलएसीटोएसीटेट (एमएपीए) (इसके आप्टिकल आइसोमर्स समेत)”.

[फा. सं. N/11012/3/2010-NC-II-Part-1]

ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को सा. का. नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद इसमें सा. का. नि. 186(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 और सा. का. नि. 779(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

**G.S.R. 536(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number G.S.R. 191 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2013, namely: -

1. (1) This order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2020.  
 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the Schedule,-
  - (a) in Schedule A, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
 

“6. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)  
 7. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)”;
  - (b) in Schedule B, after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
 

“20. 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate) (all stereoisomers)  
 21. 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) (all stereoisomers)  
 22. alpha-phenylacetooacetamide (APAA) (including its optical isomers)  
 23. methyl alpha-phenylacetooacetate (MAPA) (including its optical isomers)”;

(c) in Schedule C, after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

- “20. 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate) (all stereoisomers)
21. 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) (all stereoisomers)
22. *alpha*-phenylacetoacetamide (APAA) (including its optical isomers)
23. methyl *alpha*-phenylacetoacetate (MAPA) (including its optical isomers)”.

[F. No. N/11012/3/2010-NC-II-Part-1]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 191(E), dated the 26th March, 2013 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 186(E), dated the 27th February, 2018 and number G.S.R. 779(E), dated the 14th October, 2019.